176

श्रीमान् राजस्व मंडल सदस्य महोदय ग्वालियर कैम्प रीवा म.प्र.

विश्वनाथ साहू तनय माधव साहू निवासी ग्राम बूढ़ा बाउर तह. रामनगर जिला सतना म.प्र. Rs. 20/-

..................निगरानीकर्ता

R 5019-II/16

बनाम्

सौरभ द्विवेदी पिता संतोष द्विवेदी निवासी बूढ़ा बाउर तह. रामनगर जिला सतना म.प्र.

.............गैरनिगरानीकर्ता

श्री आर. एल. साहू एड के द्वारा आज दिनांक 14-1-16 प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार तह. रामनगर जिला सतना म.प्र. रा.नि.मं. झिन्ना का प्र.क. 07 अ – 12/14–15 आदेश दिनांक 24.07.2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न हैं –

1– यह कि ग्राम बूढा बाऊर रा.नि.मं. झिन्ना तह. रामनगर जिला सतना म.प्र. की भूमि आराजी नं. 1417 एवं 1418 के भूमिस्वामी माधव साहू एवं जयराम साहू थे दोनों सगे भाई थे 1417 एवं 1418 दोनों आबादी निस्तार की भूमि है। माधव साहू की मृत्यु होने के बाद उनके वारिस पुत्र काशीनाथ साहू, विश्वनाथ साहू तथा शोभनाथ साहू पिता के हिस्से की भूमि में माकान बनाकर आबाद हैं तथा 1/2 हिस्सा में जयराम साहू का माकान व निस्तार है। आराजी नं. 1417/1 का मालिक जयराम साहू तथा 1718/1 का मालिक जयराम साहू एवं 1417/2 एवं 1418/2 का मालिक काशीनाथ साहू तथा 1418/3 व 1417/3 का मालिक विश्वनाथ साहू निगरानीकर्ता एवं 1417/4 व 1418/4 का मालिक शोभनाथ साहू हैं जो मौके में उसी अनुसार आबाद हैं। जिनका बंटवारा हो चुका है लेकिन नक्शा तरमीम आज तक नहीं हुआ है। जबकि मौके में सभी भूमिस्वामी अपने – अपने हिस्से में आबाद है। काशीनाथ साहू द्वारा अपने हिस्से की भूमि 1417/2 रकबा 0.004 हे. एवं 1418/2 का अंश रकबा 0.012 हे. जो निगरानीकर्ता के भाई काशीनाथ साहू का हिस्सा था वह गैरनिगरानीकर्ता को

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-5019/11/16 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	विश्वनाथ साहू कार्यवाही तथा आदेश सौमित्र द्विवेदी	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.8.16	यह निगरानी तह० रामनगर जिला सतना के प्र० क्र० 7/अ-12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 24-7-15 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री आर० एस० साहू के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। उनके द्वारा निगरानी के संलग्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर निर्णय लेने का निवेदन किया गया। सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि भूमि सर्वे क्रमांक 1417 एवं 1418 का खसरे में बटांकन हो चुका है किन्तु नक्शा पर बटांकन के अनुसार नक्शा तरमीम नहीं हुई है। बिना नक्शा तरमीम के सीमांकन की कार्यवाही को अनुचित मानते हुए सीमांकन पारित आदेश दिनांक 24-7-15 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। निगरानी मेमो के संलग्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन करने पर ऐसा कोई अभिलेख अवलोकित नहीं हुआ जिससे यह प्रकट होता कि नक्शे पर तरमीम हुई हो। खसरा वर्ष 2014-15 के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि विवादित भूमियों का खसरे में बटांकन अंकित है किन्तु नक्शा पर मुताबिक बटांकन तरमीम प्रकट नहीं है।	

[कृ. प. उ.

R. 50191111116 सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	विश्वनाथ कार्यवाही तथा आदेश सौरभ	

इसके साथ ही संलग्न प्रश्नाधीन आदेश में आपत्ति प्रस्तुत करने का उल्लेख तो है किन्तु में कौन से बिन्दु उठाये गये थे यह स्पष्ट नहीं है जिससे इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि आवेदक द्वारा जो बिन्दु रा०मं० के समक्ष उठाये हैं वे ही बिन्दु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उठाये गये थे। यहां यह तथ्य विशेष रूप से विचारणीय है कि बिना नक्शा तरमीम के सीमांकन की कार्यवाही सारगर्भित नहीं मानी जा सकती और अभिलेख अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह प्रकट हो रहा है कि मात्र खसरे में बटांकन हुआ है नक्शे पर बटांकन के अनुसार तरमीम नहीं। अतः विधितः यह सीमांकन कार्यवाही स्वीकार योग्य न होने से प्रभावहीन घोषित की जाती है तथा तह० को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे खसरे में अंकित स्थिति के अनुसार आवेदक एवं अनावेदक के चाहे पर तथा नक्शा तरमीम का आवेदन प्रस्तुत करने पर नक्शा तरमीम की कार्यवाही उभयपक्ष की उपस्थिति में पूर्ण सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए करें तत्पश्चात 2 माह में सीमांकन की कार्यवाही समस्त सरहदी कृषकों को सूचना देकर की जावे। आवेदक एवं अनावेदक को भी निर्देशित किया जाता है कि स्वयं इस आदेश की संसूचना के 15 दिवस के अंदर पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्तानुसार कार्यवाही संपादित करने में एवं न्याया० का सहयोग करें। उपरोक्तानुसार कार्यवाही में निर्धारित समयावधि में सहयोग न करने एवं अनु० रहने की स्थिति में तह० विधि अनुसार कार्यवाही कर आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उपरोक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा०द०हो।

(हस्ताक्षर)

सदस्य